

आदेश न इजलासा राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
 प्रकरण संख्या: 4/2022 (धारा 14 शिवयोरिटाईजेशन)
 बैंक ऑफ बडोदा शाखा हरिगर्ग, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. भूरा राम बैरवा पुत्र श्री जगन्नाथ बैरवा
2. ओम प्रकाश पुत्र श्री भूसाराम बैरवा
निवासी 127 बी, विश्वकर्मा नगर प्रथम एण्ड द्वितीय, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. नाथूराम बैरवा पुत्र श्री भूसाराम बैरवा
मकान नं. 139 विश्वकर्मा नगर द्वितीय, महारानी फार्म, जयपुर ।

अप्रार्थीगण ऋणी



The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री राकेश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश


दिनांक : 24.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.08.2006 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री भूरा राम बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 127 बी, विश्वकर्मा नगर प्रथम एण्ड द्वितीय, दुर्गापुरा, जयपुर क्षेत्रफल 77.95 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 3,59,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

- 2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

डेट
जयपुर

1. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 3,59,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 3,18,553.18 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 23.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त कार का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री भूरा राम बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 127 बी, विश्वकर्मा नगर प्रथम एण्ड द्वितीय, दुर्गापुरा, जयपुर क्षेत्रफल 77.95 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

P. V. Vishal
 (सज्जन विशाल)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर